P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-2* May- 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

औद्योगिक श्रमिकों में ऋण ग्रस्तता की समस्या (हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सोनभद्र के पार्टरूम में कार्यरत श्रमिकों पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

आर0 के मौर्य
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय महिला स्नाकोत्तर महाविद्यालय,
अदलहाट मीरजापुर।

सारांश

औद्योगिकरण की प्रक्रिया के आरम्भ होने से समाज में परिवर्तनों की श्रृंखला चल पड़ी जिसका प्रभाव हमारे आन्तरिक व्यवसायिक ढॉचें पर पड़ा कृषि व्यवसाय करने वाली जनसंख्या में कमी आने लगी और उद्योगों में मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने लगी, ग्रामीण जनता शहरों की ओर अग्रसर होने लगी , और शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगी, आवासों की कमी के कारण गन्दी एवं मलिन बस्तियॉ बसने लगी, जिसका सीधा प्रभाव श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ा। श्रमिकों के भोजन में पौष्टिक पदार्थों की कमी के कारण वे आये दिन बीमार रहने लगे। इसके साथ–साथ उद्योगों में तेज गति के मशीनों पर कार्य करना, मशीनों के शोर से उत्पन्न तनाव से भी श्रमिकों में थकान, कार्य कुशलता में कमी, उत्पादन में कमी के साथ–साथ घटिया माल का उत्पादन कच्चे माल की कमी तथा मशीनों की टूट–फूट होने लगी, और श्रमिक दुर्घटना तथा व्यवसायिक रोगों से ग्रसित रहने लगा।

मुख्य शब्द : औद्योगिक, जनसंख्या, समाजशास्त्रीय अध्ययन, श्रमिकों

प्रस्तावना

औद्योगिक क्षेत्र में इतनी उन्नति के बाद भी हमारे देश का श्रमिक कार्य के प्रति निष्ठावान नही है। वह अपने को गाँवों से जोड़े रहता है। प्रियजनों के प्रति सम्मान व पारिवारिक व्यवसाय कृषि में ध्यान क्योंकि उसके अधिकतर सामाजिक व पारिवारिक दायित्व कृषि से ही पूरे किये जाते है। जिसका परिणाम यह होता है। कि औधोगिक प्रतिष्ठानों से श्रमिक ''अनुपस्थित'' होने लगता है। और वह साहूकारों से ऋण लेने लगता है। प्रायः श्रमिक गाँव जाता है, और वहाँ जाकर छुट्टी बढ़ा लेता है। तथा बिना छुट्टी के ही रूक जाता है। वास्तव में श्रमिकों के कृषि स्वभाव के सम्बन्ध में केवल इतनी सत्यता है कि अधिकांश श्रमिक हृदय से ग्रामीण है। वे गाँव में जन्म लेते है, वहीं उनका बचपन व्यतीत होता है, ग्रामीण परम्पराओं के अधीन रहते है, और अपने परिवार को गाँवों में छोड़कर उद्योगों में काम करने आते है। जो कुछ थोड़े बहुत श्रमिक परिवार अपने साथ लाते भी है तो प्रसूति एवं अन्य धार्मिक कृत्यों के लिए परिवार को गाँव भेज देते है, और स्वयं भी कार्यवश अथवा अनुकूल आर्थिक परिस्थितियॉ होने पर गाँव आते जाते रहते है। और अपना सम्बन्ध गाँव से भी बनाये रखते है इसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों का औद्योगिक केन्द्रों से अनुपस्थित रहना गाँव जाकर छुट्टी बढ़ाना आदि समस्या बनी रहती हैं जिसके परिणम स्वरूप अपनी आवश्यकतानुसार वे गाँव के साहूकारों अथवा मित्रों एवं रिश्तेदारों से ऋण लेते रहते है।[1]

भारत के औद्योगिक श्रमिकों के विषेशकर उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के आर्थिक जीवन का एक विशेष लक्षण यह है कि वह अधिकतर जन्म से ही ऋण ग्रस्त होते है, ऋण में ही रहते है तथा ऋण में ही मरते है। रॉयल श्रम आयोग के अनुसार श्रमिकों के निम्न जीवन स्तर के उत्तरदायी कारणों में ऋण–ग्रस्तता को उच्च स्थान दिया जाना चाहिए। आयोग का यह भी कथन है कि ''अधिकांश श्रमिक तो वास्तव में ऋण में ही पैदा होते है। इस बात से हृदय में दुःख भी होता है और प्रशंसा भाव भी आता है कि प्रत्येक पुत्र साधारणतः अपने पिता के ऋण का उत्तरदायित्व ले लेता हैं यह एक ऐसा उत्तरदायित्व होता है जो कानूनी आधारों की अपेक्षा धार्मिक एवं सामाजिक कारणों पर अधिक आधारित है।[2] इसलिए औद्योगिक श्रमिकों की एक बड़ी संख्या अपने श्रमिक जीवन के अधिकाषं समय में ऋण ग्रस्त ही रहती है।

अध्ययन का महत्व

अधिकतर औद्योगिक केन्द्रो में कम से कम एक चौथाई श्रमिक ऋण ग्रस्त है। हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पार्टरूम में कार्यरत श्रमिक भी ऋण ग्रस्त है और ऋण की राशि 3 माह के वेतन से भी अधिक है। प्रातः औद्योगिक केन्द्रो द्वारा समय–समय पर श्रमिक वर्ग की ऋण–ग्रस्तता की व्यापकता की जॉच की जाती है, यद्यपि इस जॉच को अधिक विश्वसनीय नही कहा जा सकता है, क्योंकि जॉच अधिकारियों को श्रमिक अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति बताने में संकोच करता है। श्रमिकों को भी कई बार अपनी ऋण की सम्पूर्ण जानकारी का ज्ञान नहीं होता। यह भी आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने औद्योगिक श्रमिकों की ऋण ग्रस्तता की समस्या पर कोई विचार नही किया। कि श्रमिक जितना ऋण लेता है, उसे लिए हुए ऋण का कई गुना व्याज के रूप में चुकता कर देने के बाद भी वह ऋणी ही रहता है।[3] इस सन्दर्भ में 1970 तक के दशकों के अध्ययनों के निष्कर्ष इस तथ्य की ओर इंगित करते है कि औद्योगिक केन्द्रो पर कार्यरत सम्पूर्ण श्रमिकों में से 25 प्रतिशत श्रमिक ऋण ग्रस्त है यही हाल अध्ययन में सम्मिलित पार्टरूम में कार्यरत श्रमिकों का भी है। यही कारण है कि प्रारम्भिक अध्ययनों में भारतीय श्रमिकों को कार्य के प्रति अप्रतिबन्द्ध श्रमिक कहा गया है। किन्तु बाद के अध्ययनों में रोजगार की सुरक्षा तथा उद्योगों में मुहैया होने वाली श्रम–कल्याण की सुविधाओं के फलस्वरूप औद्योगिक केन्द्रो पर ऋण ग्रस्त औद्योगिक दुर्घटना भी ऋण ग्रस्तता का महत्वपूर्ण कारण है लेकिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा श्रम कल्याण की अत्यधिक सुविधा के कारण अब इसमें कमी आयी है। सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों में भाग लेने के लिए भी प्रायः श्रमिक ऋण लेते रहते है। युवा श्रमिकों में मध्यम आयु के श्रमिकों की अपेक्षा अधिक ऋण–ग्रस्तता पायी जाती है। क्योंकि युवा श्रमिक कार्य के प्रति अप्रतिबद्ध रहता और जब वह औद्योगिक प्रतिष्ठान से अनुपस्थित हो जाता है। तो श्रमिक जितने दिन अनुपस्थित रहता है, उतने दिनों का वेतन प्रतिष्ठान द्वारा काट लिए जाते है जिससे युवा श्रमिकों को महीने के अन्त में कम मजदूरी मिलने के कारण ऋण ग्रस्तता अधिक पायी जाती है।

ऋण–ग्रस्तता के कारण

औद्योगिक श्रमिकों की ऋण ग्रस्तता का विश्लेषण उनकी गिरी हुई आर्थिक अवस्था बहुत ही दुःखपूर्ण है। इस अत्यधिक ऋण गस्तता के अनेक कारण है। अधिकतर गरीब श्रमिक अपने पिता के ऋण को पैतृक सम्पत्ति के रूप में ग्रहण करते है। परन्तु ऋण गस्तता का सबसे प्रमुख कारण समय समय पर विवाहोत्सव मृत्यु संस्कार, पर्व तथा वार्शिक उत्सव आदि है। श्रमिको की प्रवासिता भी उनकी ऋण ग्रस्तता का एक महत्वपूर्ण कारण है। जब कोई ग्रामीण प्रथम बार शहर में पहुँचता है तो उसके साधन एक ग्रामीण किसान अथवा मजदूर की अपेक्षा अधिक सीमित होते है। पहले कुछ सप्ताह तक (जिसमें औद्योगिक प्रतिश्ठान उसे कोई वेतन नही देता) खर्च हेतु श्रमिक को किसी भी शर्त पर ऋण लेने में संकोच नही होता। बहुधा बन्धक रखी जाने लायक कोई वस्तु न होने के कारण श्रमिक एक ऐसे प्रलेख पर धन के लिए हस्ताक्षर कर देता है, जो धन सम्भवतः गॉव में उसे कमी न मिलता जिसमें लिखी बातों का अक्सर उसे ज्ञान भी नही होता। फिर इस बुराई का एक और कारण अज्ञात विपत्तियों का अचानक सामना करने के लिए किसी भी संचित राशि का न होना है। भारत में मजदूर का वेतन स्तर अत्यन्त कम होता है। और बचत भी कम होता है। अल्प वेतन ही ऋण–ग्रस्तता का एक मात्र करण नहीं है, क्योंकि अधिक वेतन पाने वाले श्रमिक अल्पवेतन पाने वालों से अधिक ऋण ग्रस्त है। फिर भी यह कह सकते है कि न्यून वेतन श्रमिकों की ऋण–ग्रस्तता का एक महत्वपूर्ण कारण है। निर्धनता कभी तो ऋण–ग्रस्तता का कारण बन जाती है। कभी उसका परिणाम होती है और कभी दोनों ही। यह सत्य है कि ऋण ग्रस्तता का मुख्य कारण सामाजिक रीतियों पर श्रमिकों द्वारा किया गया व्यय है।[4] इस व्यय को साधारणतया अपव्यय समझा जाता है, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रमिक भी सामाजिक संगठन का एक अंग है।, अतः उसको भी कुछ सामाजिक कार्य एक निश्चित स्तर पर पूर्ण करने होते है।, चाहे वह इन पर होने वाले व्यय को वहन कर सकता हो। इन मामलो में श्रमिक प्रायः असहाय होता है, क्योकिं ''भारत जैसे देश में रीति रिवाज केवल शासक ही नही वरन अत्यन्त निर्दयी शासक है।''[5]

औद्योगिक श्रमिकों की ऋण–ग्रस्तता का एक मुख्य कारण यह है कि उसका व्यय अधिक है और आय कम है। ऋण–ग्रस्तता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि श्रमिकों को ऋण सरलता से मिल जाता है बहुधा अध्ययन में यह भी पाया गया है कि ठेकेदार जो श्रमिकों को औद्यागिक प्रतिष्ठानों में सप्लाई करते है अथवा मध्यस्थ भी ऋण देने का धन्धा करता है।, पर चुनिये भी ऋण देते है, और ऋण सामग्री अथवा जिन्स के रूप में भी दिया जाता है। दुकानदार भोजन एवं मदिरा भी उधार देते है। वास्तव में अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि जिस व्यक्ति के पास तनिक भी देशी धन हो, वह ऊॅची व्याज दर पर ऋण देने के विषय में सोचने लगता है क्योंकि श्रमिक के पास अपनी जमानत के अतिरिक्त कोई जमानत नहीं होती और श्रमिक की प्रवससिता के कारण उसको ऋण देने में बहुत जोखिम होता है। अधिकतर श्रमिक महाजनों के चंगुल में फस जाते है। और कभी–कभी अपने खास मित्रों के बहकावे में आकर जो बहुधा महाजन का एजेण्ट होता है, उधार धन लेने के लिए तैयार हो जाता है। यदि लिखित प्रलेख न भी हो तब भी श्रमिक में महाजन की मॉग को ठुकराने का साहस नही होता। ये लोग बहुत ऊॅचीं दरों पर ब्याज वसूल करते है और यदि श्रमिक ऋण चुकाने में कुछ आना कानी करें तो शारीरिक शक्ति प्रयोग का भय दिखाकर प्रत्येक मास वेतन का अधिकांश भाग ब्याज के रूप में ही ले लेते है।

तता की समस्या में कुछ परिवर्तन आया है। प्रस्तुत अध्ययन आज के बदलते परिवेश में इसी दिशा में एक प्रयास है।

अध्ययन का क्षेत्र

श्रमिकों की ऋण–ग्रस्तता का अध्ययन करते समय हम यह देखते है कि आज भारत में बड़ी संख्या में लोग औद्योगिक प्रतिष्ठानो में कार्यरत है। ऐसी स्थिति में सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों का अध्ययन करना सम्भव नही है। विषय की गहनता को ध्यान में रखते हुए हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सोनभद्र, रेनूकूट के पार्टरूम में कार्यरत श्रमिकों को ही आधार मानकर अध्ययन किया गया है। पार्टरूम का अर्थ (औद्योगिक प्रतिष्ठान के अनुसार) जहॉ एल्यूमिनियम को गलाकर तार अथवा शिल्ली के रूप में बाहर निकाला जाता है पार्टरूम में कार्यरत श्रमिक पैंतीस डिग्री से ऊपर के तापमान में कार्य करते है और ये श्रमिक नये तथा अस्थायी ही अधिकांश होते है जो अपनी जान को खतरा मानकर पैसे के लिए ही इस प्रतिष्ठान में कार्य करते है। [6]

अध्ययन का उद्देश्य

यह सर्व विदित है कि जिस किसी उद्योग या प्रतिष्ठान में ऋण–ग्रस्तता जैसी बुराईयॉ घर कर लेती है उन प्रतिष्ठानों के उत्पादन में काफी कमी आती है, उत्पादन के स्तर एवं किस्म में भी गिरावट आती है, और श्रमिकों की कार्यकुशलता पर कुप्रभाव पड़ता है।[7] इस प्रकार स्थिति का सही ऑकलन करने हेतु अध्ययन से सम्बन्धित निम्नलिखित उद्देश्य निरूपित किये गये है–

1. अधिकाशतः श्रमिक अस्वस्थता एवं बीमारी के कारण ऋण ग्रस्त रहते है।
2. अधिकांश श्रमिक पार्टरूम में रात के कार्य में असुविधा होन के कारण मदिरापान हेतु ऋण ग्रस्त रहते है।
3. ऋण ग्रस्तता का एक प्रमुख कारण फसलों की बुआई एवं कटाई भी है जिसके चलते उक्त अवधि में श्रमिको में ऋण ग्रस्तता ज्यादा पायी जाती है।

ऋण–ग्रस्तता के दुष्परिणाम

सरलता से मिला ऋण श्रमिक के लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित हुआ है और इस रीति का सबसे दुख दायी दोष यह है कि ऐसे छोटे व बड़े ऋण भी आसानी से मिल जाते है, जिनको अशिक्षितता उनमें व्यावसायिक समझ और दूरदर्शिता पैदा करने में बाधक सिद्ध होती है और उनकी हिसाब लगाने की असमर्थता के कारण उन्हें इस बात के लिए विवश होना पड़ता है कि (महाजन को पूरा ब्याज) लगातार नही मिलता और इसलिए इस बकाया ब्याज को भी वह मूलधन में जोड़ देते है कुछ ही वर्षों में यह मूल ऋण बहुत बड़े व स्थायी ऋण में परिवर्तित हो जाता है। बहुत बार तो ऋण देने वाला व्यक्ति वेतन मिलने वाले दिन ही श्रमिक एवं उसके सम्पूर्ण परिवार का कुल वेतन ले लेते है और उनको केवल जीवन निर्वाह हेतु धन फिर ऋण के रूप में दे देते है। बहुत से परिश्रमी श्रमिक केवल ब्याज देने ही के लिए अपने जीवन की आवश्यकताओं को छोड़ने पर विवश हो जाते है और मूल ऋण चुकाने का तो उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता । इसलिए ऋण ग्रस्तता कार्य कुशलता की वृद्धि में बाधक है। ऋणग्रस्त श्रमिक जो कुछ अतिरिक्त प्रयत्न करते है उनका लाभ केवल ऋण देने वाले साहूकार को ही होता है और ऋणग्रस्त श्रमिक सदा ही परेषान रहता है। '' इस प्रकार ऋण की विडम्बना श्रमिकों के आत्म सम्मान के लिए एक अभिशाप सिद्ध हुई है और उनकी कार्य कुशलता का ह्रास करती है।''[8]

ऋणग्रस्तता की समस्या को दूर करने के उपाय

औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रम कल्याण की इतनी अधिक सुविधा उपलब्ध हो जाने क बाद भी औद्योगिक श्रमिकों की ऋण–ग्रस्तता कम होती दिखाई नही देती। यह तथ्य सत्य प्रतीत होता है क्योंकि साहूकारों/महाजनों को औद्योगिक क्षेत्रों में समाप्त कर देना कठिन है। कठोर कानून बन जाने से साहूकारों का मार्ग कठिन अवश्य हो जाता है परन्तु साहूकारों के लिए श्रमिकों से उनके घरो से अपना ऋण वसूल करना कठिन नही है। विशेषकर ऐसी परिस्थिती में जबकि ऋणदाता औद्योगिक प्रतिष्ठान के अन्दर का ही मध्यस्थ होता है। ऐसे अवसर भी आते है जब श्रमिक को धन की अत्यधिक आवश्यकता होती है साहूकार संकटकालीन परिस्थिति में श्रमिकों को सहायता देकर एक बहुत उपयोगी कार्य करते है। इसमें सन्देह नही कि रायल श्रम आयोग श्रमिकों द्वारा ऋण पाने की सुविधाओ को कम करने के पक्ष में था परन्तु श्रम से सम्बन्धित चाहे जो भी कानून बनाया जाये, जब तक अत्यन्त अल्प मजदूरी भरती तथा पदोन्नति में चलने वाली सर्वव्यापी घूस और भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जायेगा, श्रमिक साहूकार के बिना नही रह सकता और इस समस्या का कोई विशेष समाधान नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि श्रमिक इतना धन अर्जित करने योग्य हो जाये कि वह न केवल अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओ को पूर्ण कर सके, वरन कुछ बचत भी कर सके जो कि भविष्य में यकायक आने वाले संकटो के समय और कुछ विवाह जैसी रीति रिवाज की आवश्यकताओं के अवसरों पर व्यय की जा सके। सन् 1962 से श्रम व रोजगार मन्त्रालय ने सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्योगो में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों व उचित मूल्य की दुकानों के संगठन की एक ऐसी योजना लागू की है जिनमें 50 इससे अधिक श्रमिक कार्य करते है ऐसे उद्योगो में सहकारी समितियां उचित मूल्य की दुकाने खोली गयी, और औद्योगिक प्रतिष्ठान के शत् प्रतिशत श्रमिक इन केन्द्रों से कम मूल्य पर आवश्यक आवश्यकता की वस्तुएं ले भी रहें है। हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड भी अपने श्रमिकों को श्रम कल्याण की अत्यधिक सुविघा प्रदान कर रहा है। ताकि श्रमिक औद्योगिक केन्द्र पार्टरूम से कम अनुपस्थित रहे,जब श्रमिकों में अनुपस्थिति कम होगी तो वे ऋण ग्रस्त भी कम रहेगें। इसके अतिरिक्त ऋण ग्रस्तता की समस्या को हल करने के लिए श्रमिकों में शिक्षा के विस्तार एवं प्रचार द्वारा अपव्यय को रोकना भी नितान्त आवश्यक है।

ऋण–गस्तता की समस्या का निवारण करने की दृष्टि से औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिक बचत निधि की स्थापना की गयी है ताकि श्रमिक बड़ी ऋण लेने से रोकना व श्रमिकों में दूरदर्शिता उत्पन्न करने तथा कम व्याज पर ऋण प्रदान करने की सुविधा देने के लिए श्रमिकों में सामूहिक बीमा योजना की सुविधा अधिकाशं औद्योगिक केन्द्र दे रहे है। इसके साथ ही अब श्रमिकों को एच टाइप आवासीय सुविधा भी दी जा रही है, ताकि श्रमिक ऋण ग्रस्त कम से कम रहे।

निष्कर्ष

इन सब बातों पर विचार करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लिमिटेड अपने श्रमिकों को ऋण–ग्रस्तता से बचाने के लिए अत्यधिक श्रम–कल्याण की सुविधा दे रहा है। फिर भी श्रमिकों की मजदूरी समानीकरण, न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन, साप्ताहिक अदायगी सामूहिक सौदेकारी का विस्तार सामाजिक बीमा योजना, ऋणी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए ऋण का अपाकरण तथा निष्क्रमण आदि सभी बातों की व्यवस्था करने पर ही श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार हो सकता है और तब ही ऋण ग्रस्तता ही समस्या का भी समाधान हो सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *आर0 एस0 त्रिपाठी– औद्योगिक श्रमिकों की कार्य के प्रतिबद्धता विजय प्रकाशन मन्दिर वाराणसी पृ0 42.*
2. *रिपोर्ट रॉयल कमीशन आन लेबर , पृ0 224.*
3. *लेबर बुलेटिन, रिपोट बाई डॉ0 विद्याधर अग्निहोत्री, पृ0 55.*
4. *रिपोर्ट: राष्ट्रीय श्रम आयोग , पृ0 328.*
5. *दुर्गेश त्रिपाठी, मजदूर और जनसंचार मैट्रों पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृ0 33.*
6. *आर0 सी0 सक्सेना: श्रम समस्यायें एवं समाज कल्याण , के0 नाथ एण्ड कम्पनी , मेरठ, पृ0 647.*
7. *भारत में रीति–रिवाज केवल शासक ही नही वरन् अत्यन्त निर्दयी शासक हैं।*
8. *आर0 एस0 त्रिपाठी, बाल–श्रमिकों की स्वास्थ्य समस्याएं अमृत प्रकाशन वाराणसी , पृ0 89.*